

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट दूदू

फर्द अहकाम

जगप्राल बनाम गा० प० सुडियाला घाँ०

क्रमा संख्या ०७ / २०२३

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं हैं। निगरानीकर्ता की तरफ से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हैं। आवाज डिलाई गई। निगरानीकर्ता की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हैं। काद का आवाज लगाने पर भी ध्वनि नहीं है। अतिरिक्त सफ़्त पूर्ण हो चुका है। अतः निगरानीकर्ता धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1953 के अन्तर्गत पत्रावली में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल मुकदमा होकर पत्रावली से कम है। काद पूर्ण लेख भण्डार है।</p>	

19/2/24
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू